



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

क्रमांक एफ 4-3/2014/1-13/आरटीआई/1-सूअप्र - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त, के पद पर श्री मोहन राव पवार, अधिवक्ता, बी-31, आम्रपाली सोसायटी, रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह)
विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 4-3/2014/1-13/आरटीआई/1 नया रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2015
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव ।
2. मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर ।
4. मुख्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रो. शंकर नगर, रायपुर ।
5. तमस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर ।

23/10/15

6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर।
7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
8. समस्त विशेष सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़।
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
11. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर।
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
13. समस्त कलेक्टर्स, छ.ग.।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोडद्व शंकर नगर, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
16. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर।
17. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर।
18. संबंधित--श्री मोहन राव पवार, अधिवक्ता, बी-3, आम्रपाली सोसायटी, रायपुर (छ.ग.)।
चूंकि शासकीय आवास उपलब्ध नहीं हैं। अतः कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतन के अलावा आवास भाड़ा (H.R.) की पात्रता होगी।
19. नियंत्रण, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव। कृपया छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर उसकी 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग